

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 740 सन 2021

अनवान :-

1. सोनादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. मदनलाल पुत्र लालचन्द जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
4. हरिसिंह पुत्र लालचन्द जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/02/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 911 की 30.08 बीधा खसरा न0 912 की 12.14 बीधा कुल 43.02 बीधा भूमि दिनांक 03.01.1976 को लालचन्द पुत्र कानाराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला को आवंटित की गई थी आवटन से लेकर आवटन की गई भूमि आवंटी लालचन्द पुत्र कानाराम के कब्जा काश्त में रही तथा लालचन्द पुत्र कानाराम के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के पिता लालचन्द पुत्र रामचन्द्र को आवंटित भूमि थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड हाल रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 776/757 के खसरा न0 911 की 7.6890हैक् खसरा न0 912 की 3.2120हैक् कुल 10.9010हैक् भूमि में परिवर्तन होकर पैमुद हो चुकी है। आवंटी लालचन्द पुत्र कानाराम का देहान्त होने के बाद लालचन्द पुत्र कानाराम के वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एव कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उक्त भूमि आवटी लालचन्द पुत्र रामचन्द्र को आवंटन होने से लेकर आज तक पूर्व में आवंटी लालचन्द पुत्र रामचन्द्र के कब्जा काश्त में रही आवंटी लालचन्द के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव आवंटन की समस्त शर्तों की पालना की जा रही है वाद भूमि के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 खातेदार काश्तकार हो चुके हैं।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे किन्तु इन्कार हो गये इसलिये वादी ने अपने हकों की धोषणा करवाने के लिये वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 776/757 की कुल 10.9010हैक् भूमि के वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 तरतीबी प्रतिवादी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरुद्ध किसी प्रकार की रिलिफ ना होने के कारण जबाब की आवश्यकता नहीं है प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बन्ध में जबाब पेश किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमों के तहत ही पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। परोकार राज का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर वादी से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्यवादी में अपना शपथपत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 911 की 30.08 बीघा खसरा न0 912 की 12.14 बीघा कुल 43.02 बीघा भूमि दिनांक 03.01.1976 को लालचन्द पुत्र कानाराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला को आवंटित की गई थी आवंटन से लेकर आवंटन की गई भूमि आवंटी लालचन्द पुत्र कानाराम के कब्जा काश्त में रही तथा लालचन्द पुत्र कानाराम के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के पिता लालचन्द पुत्र रामचन्द्र को आवंटित भूमि थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड हाल रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 776/757 के खसरा न0 911 की 7.6890हैक खसरा न0 912 की 3.2120हैक कुल 10.9010हैक भूमि में परिवर्तन होकर पैमुद हो चुकी है। आवंटी लालचन्द पुत्र कानाराम का देहान्त होने के बाद लालचन्द पुत्र कानाराम के वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एव कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उक्त भूमि आवंटी लालचन्द पुत्र रामचन्द्र को आवंटन होने से लेकर आज तक पूर्व में आवंटी लालचन्द पुत्र रामचन्द्र के कब्जा काश्त में रही आवंटी लालचन्द के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव आवंटन की समस्त शर्तों की पालना की जा रही है वाद भूमि के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 खातेदार काश्तकार हो चुके है।

वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ जाने के कारण यदि उपनिवेशन नियमों के तहत भी वाद भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हकों की धोषणा की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

परोकार राज ने निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है इसलिये वाद भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमों/परिपत्रों के अधीन ही वादी पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 181 की कुल 50.00 बीघा भूमि लालचन्द पुत्र कानाराम को दिनांक 19.7.1968 को आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता लालचन्द पुत्र कानाराम को आवंटित भूमि रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 181 की 50.00 भूमि को भु0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान हाल खसरा न0 911 की 30.08 बीघा एवं खसरा न0 912 की 12.14 बीघा में पैमुद किये गये जो हाल जमाबन्दी में हैक्टर में परिवर्तन किया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 776/757 के खसरा न0 911 की 7.6890हैक, खसरा न0 912 की 3.2120हैक कुल 10.9010हैक में परिवर्तन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो तहसीलदार की रिपोर्ट से पूर्णतया साबित है एवं साबिका से हाल खसरा नम्बर परिवर्तन में किसी प्रकार का विवाद नहीं है

वादी के पिता लालचन्द पुत्र कानाराम को वाद भूमि दिनांक 19.07.1968 को आवंटित की गई थी जो आवंटी लालचन्द पुत्र कानाराम के कब्जा काश्त में रही थी तथा लालचन्द पुत्र कानाराम के देहान्त होने के बाद उसके /आवंटि के वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जो प्रस्तुत गिरदावारीयों/तहसीलदार

al

उपनिवेशन अधिकारी

ने

नोहर की रिपोर्ट से साबित हैं वाद भूमि आवंटन के समय से वादी के पिता लालचन्द के तत्पश्चात लालचन्द के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काशत में चली आ रही है पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया गया अर्थात् वाद भूमि आवंटन से लेकर आज तक पूर्व में आवंटनी लालचन्द एवं वर्तमान में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काशत में चली आ रही है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज लालचन्द को दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 19.07.1968 के सात वर्ष बाद खातेदार काशतकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काशतकार दर्ज किया जाना था।

पैरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता लालचन्द को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

पैरोकार राज का कथन उचित प्रतीत होता है वाद भूमि वाद के पिता लालचन्द को बारानी क्षेत्र में आवंटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदार पाने के अधिकारी है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में समय समय पर परिपत्र / अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वादी सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदारी अधिकारों के लिए अनु० जाति अनु० जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है :-

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

८१

अधीक्षक अधिकारी


इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं।

वादी के पिता लालचन्द पुत्र कानाराम जाति मेधावाल निवासी ढण्डेला को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 181 की 50.00 बीघा भूमि हाल खसरा न0 911 की 7.6890 हैक् एवं खसरा न0 912 की 3.2120 कुल 10.9010 हैक् भूमि दिनांक 18.07.19687 को आवंटन की गई थी लालचन्द पुत्र कानाराम के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज हैं जो आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवंटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती हैं के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसूचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं परिपत्रों के अधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के हाल खाता संख्या 776/757 की कुल 10.9010 हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीघा का 10 प्रतिशत 200/- प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/2/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्री पंकज गढवाल ( आर.ए.एस )

अनवान :-

1. सोनादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. मदनलाल पुत्र लालचन्द जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

4. हरिसिंह पुत्र लालचन्द जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।


तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 740 सन 2021 निर्णय दिनांक - 05/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा कानसर के हाल खाता संख्या 776/757 की कुल 10.9010 हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीघा का 10 प्रतिशत 200/- प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )